न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : हवाई सिंह यादव
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 3/2018

1. शीशराम पुत्र खम्माराम जाति जाट निवासी नांद तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (दौराने प्रार्थना पत्र मृतक)
   - 1.1 मोहरसिंह पुत्र शीशराम जाति जाट निवासी नांद तहसील मलसीसर हाल तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
   - 1.2 नरेन्द्र पुत्र शीशराम जाति जाट निवासी नांद तहसील मलसीसर हाल तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
   - 1.3 राजबाला पुत्री शीशराम जाति जाट निवासी नांद तहसील मलसीसर हाल तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
2. अनिता पत्नी सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी नांद तहसील मलसीसर हाल तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
3. कपिल पुत्र सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी नांद तहसील मलसीसर हाल तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
4. बबीता पुत्री सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी नांद तहसील मलसीसर हाल तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
5. मुन्नीदेवी पुत्री नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी नांद तहसील मलसीसर हाल तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
6. सुप्यारकवंर पत्नी गोविन्दसिंह जाति राजपुत निवासी नांद तहसील मलसीसर हाल तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।

आवेदक

बनाम

1. सुनिल पुत्र सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी नांद तहसील मलसीसर हाल तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
2. ओमप्रकाश पुत्र मुलाराम
3. दयानन्दसिंह पुत्र मुलाराम
4. महेन्द्रसिंह पुत्र मुलाराम
5. महिपाल सिंह पुत्र मुलाराम
6. सुभााचन्द पुत्र मुलाराम
7. अरविन्द पुत्र किशना
8. गीतादेवी पत्नी किशना
9. राकेश पुत्र किशना
10. रामनिवास पुत्र किशना
11. विमला देवीपुत्री किशना
12. देवकरण पुत्र रामेश्वर
13. राजपाल पुत्र रामेश्वर
14. मुकेश देवी पत्नी शीशराम
15. सन्दीप पुत्र शीशराम
16. पुजा पुत्री शीशराम

17. अशोक पुत्र चन्द्राराम
18. इमरता उर्फ कविता पुत्री चन्द्राराम
19. तीजु उर्फ सुमन पुत्री चन्द्राराम
20. द्रोपती पुत्री चन्द्राराम
21. पोपली पत्नी चन्द्राराम
22. मंजु उर्फ कौशल्या पुत्री चन्द्राराम
23. सरस्वती पुत्री चन्द्राराम
24. जगदीशप्रसाद पुत्र खींवाराम
25. राकेश पुत्र हनुमान
26. हरपाल पुत्र पोकर समस्त जाति मेघवाल निवासी नांद तहसील मलसीसर हाल तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
27. रामचन्द्र पुत्र जीताराम जाति जाट निवासी नांद तहसील मलसीसर हाल तहसील बिसाऊ
28. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वकील प्रार्थी – श्री विनोद कुमार गिल
वकील अप्रार्थी – श्री इन्द्रजीत शर्मा

निर्णय

दिनांक 10.10.2023

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम नांद पटवार हल्का चुड़ेला की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 29 प्रार्थीगण 1 लगायत 4 व अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी काश्त की भूमि है। ख0न0 165 को मुन्नी देवी व ख0न0 164 को सुप्यार कंवर पत्नी गोविन्दसिंह काश्त करती है। इसी प्रकार ग्राम नांद के ख0न0 176 को अप्रार्थी 2 लगायत 6 काश्त करते है। ख0न0 167/393 को अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 11 काश्त करते है। ख0न0 167 को अप्रार्थी संख्या 12 लगायत 16 काश्त करते है व काबिज है। ख0न0 168, 169 को अप्रार्थी संख्या 17 लगायत 26 काश्त करते है। ख0न0 33 जो ग्राम रिजाणी में स्थित है, को अप्रार्थी रामचन्द्र अकेला काश्त करता है जिसमें कुआं व रिहायशी मकान बना रखे है। प्रार्थीगण 1 लगायत 4 व अप्रार्थी संख्या 1 के खेत में आने जाने का कदीमी रास्ता नजरी नक्शा में अंकित मार्क ए.बी.सी.डी. से रहा है। उक्त रास्ता 100 साल से अधिक पुराना है। उक्त रास्ते को अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 26 ने अवरूद्व कर दिया है मुख्य रूप से रास्ता को आरम्भ में ही ख0न0 167 व 167/393 के खातेदार ने बन्द कर रखा है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के खेत में आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर नहीं है। इसलिये प्रार्थीगण 1 लगायत 4 व अप्रार्थी संख्या 1 पूर्व में प्रचलित उक्त रास्ते को जो नजरी नक्शा में मार्क ए.बी.सी.डी. से अंकित किया गया है, को 12 फीट चौड़ा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण 1 लगायत 4 व अप्रार्थी संख्या 1 को उनके खेत में आने जाने हेतु पूर्व से प्रचलित रास्ता जो नजरी नक्शा में मार्क ए.बी.सी.डी. से अंकित किया गया है, को 12 फीट चौड़ा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित

तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार मलसीसर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अनावेदकगण संख्या 3 लगायत 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 24 की ओर से एडवोकेट इन्द्रजीत शर्मा ने हिदायत पैरवी होने बाबत मेमो ऑफ एपीरियन्स पेश किया परन्तु अप्रार्थी संख्या 3, 4, 5, 7, 9, 10 व 13 की ओर से ही जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 11, 12, 14 लगायत 20, 23, 25 लगायत 27 की ओर से कोई उपसंजात नहीं हुआ। पक्षकारान को नोटिस विधिवत तामिल होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपसंजात नहीं होते है तो यह मानकर कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अप्रार्थी संख्या 1, 2, 11, 12, 14 लगायत 20, 23, 25 लगायत 27 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 6, 21, 22, 24 की ओर से जवाब पेश नही होने पर जवाब बन्द किया गया।

अप्रार्थी संख्या 3,4,5,7,9,10 व 13 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया तथाकथित रास्ता पूर्णतया मनगढ़त व निराधार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में मनगढ़त तथ्य पेश किये है तथाकथित रास्ता कभी मौके पर नहीं रहा। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार मलसीसर ने अपने पत्र क्रमांक 747 दिनांक 04.06.2020 से नायब तहसीलदार बिसाऊ की मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। नायब तहसीलदार बिसाऊ ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आने जाने हेतु रास्ता ख0न0 167/393, 167, 168, 169 में से होना बताया है। जिसकी खेत ख0न0 167/393 में दुरी 104 मीटर, ख0न0 167 में 120 मीटर, ख0न0 168 में 76 मीटर व ख0न0 169 में 168 मीटर है।

जवाब देही पूर्ण होने पर बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये ख0न0 167 के दक्षिण में दर्ज रास्ते से पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे प्रार्थी संख्या 5 के खेत ख0न0 165 तक तथा ख0न0 165 के दक्षिण सीमा के सहारे–सहारे होते हुये प्रार्थी संख्या 6 के ख0न0 164 तक तथा ख0न0 164 के दक्षिण सीमा के सहारे–सहारे होते हुये पूर्वी सीमा तक एव पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे ख0न0 29 तक 12 फीट चौड़ा रास्ता रास्ता दिये जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी को कई बार बहस हेतु अवसर दिया गया उसके बाद भी बहस नहीं की गई। इसलिये विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से पेश जवाब ही बहस मानी गई।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पष्ट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सींमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लधुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में आवेदकगण को अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि ख0न0 365, 164 व 29 में आने जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। वकील प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान किये गये कथनानुसार आवेदकगण को ख0न0 167 के दक्षिण सीमा में स्थित रास्ते से रास्ता दिये जाने का निवेदन किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी संख्या 5 व 6 द्वारा भी रास्ता चाहा गया है जिनकी खातेदारी भूमि ख0न0 165 व 164 है जिसमें पहुंच हेतु ख0न0 167 के पूर्वी हिस्से से रास्ता लघुतम प्रतीत होता है। ख0न0 165 से ख0न0 29 तक रास्ता प्रार्थीगण की ही खातेदारी भूमि में से होते हुये दिया जा सकता है। अतः तमाम साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण को खेत खसरा नम्बर 165, 164 व 29 में आने–जाने के लिये खेत खसरा 167 के दक्षिण सीमा में स्थित रास्ते से पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे खेत ख0न0 165 तक, खेत ख0न0 165 के दक्षिण सीमा के सहारे–सहारे ख0न0 164 तक तथा ख0न0 164 के दक्षिण सीमा एवं उसके पश्चात पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे होते हुये ख0न0 29 तक 12 फीट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार बिसाऊ को निर्देशित किया जाता है कि ख0न0 167 में रास्ते में आने वाली भूमि के बदले डी.एल.सी. का दो गुणा राशि आवेदकगण से वसूल कर ख0न0 167 के खातेदार को दी जाकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/10/23

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर